राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 4730/2022

–अपीलार्थी

सरोज कुमारी (कर्मचारी आई.डी. :– आरजेजेजे199823018348)

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, शासन सचिवालय, राजस्थान सरकार, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 15.09.2022
आदेश की दिनांक : 10.11.2022

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
एम.एस. काला, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी एएनएम के पद पर सब सेंटर नानवास, ब्लॉक बुहाना जिला झुंझुनू में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 03.09.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा उसका स्थानान्तरण/पदस्थापन स्थानांतरण उपकेन्द्र दुर्गापूरा बाड़मेर किया गया है। उनका तर्क है कि अपीलार्थी का वर्तमान स्थानांतरण पदस्थापन 23.09.2021 को हुआ था और एक वर्ष के अंदर ही अपीलार्थी का पुनः स्थानांतरण किया गया है, जो उचित नहीं है। अपीलार्थीया ने पति ने अपीलार्थीया को परित्याग कर दिया है और अपीलार्थीया अपने माता–पिता के साथ रहती है, जो वृद्ध है। अपीलार्थीया को वर्तमान स्थान पर अधिशेष होना दर्शाया है, परंतु अपीलार्थीया अधिशेष नहीं है।
3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी, पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का परिशीलन कर मनन किया गया। अपीलार्थी ने स्वयं एकल महिला होना बताया है और अपने बुढे माता–पिता के साथ रहना बताया है। इसके अलावा अपीलार्थीया ने स्वंय को अधिशेष नहीं होना भी बताया है।
4. अतः उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए हस्तगत अपील में न्यायहित में अपीलार्थी को निर्देश दिये जाते है कि वे अपने सक्षम अधिकारी के समक्ष एक अभ्यावेदन आदेश

की दिनांक से 4 सप्ताह में प्रस्तुत करें तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिया जाता है कि अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को प्राप्त होने की दिनांक से 6 सप्ताह में अभ्यावेदन पर आख्यात्मक आदेश पारित कर अपीलार्थी को सूचित करें। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त अभ्यावेदन का निस्तारण ने किये जाने तक अपीलार्थी के संबंध में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 03.09.2022 (अनुलग्नक–1) का क्रियान्वयन (Operation) अपीलार्थी की सीमा तक के लिए स्थगित रहेगा एवं साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी को वही कार्यरत रखा जावें जहाँ वह चुनौती आदेश पारित किये जाने से पूर्व कार्यरत था।

5. यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।

6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(एम.एस. काला)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)